संख्या-09/2017/921/84-1-16-7बामा/15

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनॉक 07 अप्रैल, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत प्रथम पॉच माहों हेतु लेखा अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6000/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0अनु0/17-18, दिनॉक 04.11.2016 के संदर्भ में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनॉक 02 जनवरी, 2017 में निहित निर्देशों के अधीन, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्राविधानित धनराशि कुल रू0 57,50,25,000/- के सापेक्ष माह अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक के व्यय हेतु कुल रू0 22,82,84,000/- (बाइस करोड बयासी लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र की धनराशि अधोलिखित विवरण के अनुसार, निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

मद संख्या व मानक मद का नाम	प्राविधनित धनराशि	05 माहों के व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि
01-वेतन	**4471.80**	**1863.25**
02-मजदूरी	**3.00**	**1.25**
03-मंहगाई भत्ता	**223.59**	**93.16**
04-यात्रा व्यय	**8.00**	**3.34**
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	**4.00**	**1.67**
06-अन्य भत्ते	**208.80**	**87.00**
07-मानदेय	**0.01**	**-**
08-कार्यालय व्यय	**59.00**	**24.58**
09-विद्युत देय	**70.00**	**29.15**
10-जलकर/जल प्रभार	**15.00**	**6.25**
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**20.00**	**8.34**
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**65.00**	**27.08**
13-टेलीफोन पर व्यय	**18.00**	**7.50**
14-स्टाफ कार/मोटर गाडियों का क्रय	**-**	**-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	**4.25**	**1.75**
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	**180.00**	**75.00**
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	**31.00**	**12.90**
18-प्रकाशन	**1.00**	**0.40**
22-अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	**1.00**	**0.40**
29-अनुरक्षण	**25.00**	**10.00**
42-अन्य व्यय	**1.50**	**0.60**
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**2.00**	**0.80**
45-अवकाश यात्रा व्यय	**4.00**	**1.67**
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	**7.00**	**2.90**
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी लेखन सामग्री का क्रय	**26.60**	**11.00**
49-चिकित्सा व्यय	**28.00**	**11.60**
51-वर्दी वेतन	**3.00**	**1.25**
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	**269.70**	**-**
कुल योग	**5750.25**	**2282.84**

(1) वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नई मदों के कार्यान्वयन के लिये न किया जाय। इस आबंटित धनराशि में मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि आबंटित कर दें तथा आबंटन की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(2) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-2004, दिनॉक 07 जनवरी, 2005 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

(4) व्यय की मानक मद 04-यात्रा व्यय के लिये आबंटित धनराशि के समक्ष होने वाले व्यय को इस प्रकार नियंत्रित (रेगुलेट) किया जाय कि नियत यात्रा भत्ता/वाहन भत्ता का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(5) कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय किया जाय।

(6) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(7) जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जांय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

(8) बी0एम0-08 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियमित रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके संबंध में कैलेण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-बी-1-3318/दस-22/98, दिनॉक 28-7-98 में किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक, अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृटिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर की सम्भावना मालूम पडे तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाय।

(10) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनॉक 02 जनवरी, 2017 में दिये गये दिशा निर्देशों का यथावत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता की दृष्टि से अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक संगत प्रभावी एवं प्रचलित वित्तीय नियमों एवं प्राविधानों के तहत व्यय करते हुए अनुरक्षण सम्बन्धी कराये गये कार्यो का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र मासिक प्रेषित की जाने वाली सूचना के साथ पृथक से शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 02 जनवरी, 2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव।

<u>सख्या-09/2017/921(1)/84-1-16-तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in